क्रमांक 48

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग - दो

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 29,1948)

सदस्यों के लिए संदर्भ सेवा

विधान सभा सचिवालय की संदर्भ सेवा माननीय सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके माध्यम से सदन की दैनन्दिन कार्यवाही से सीधा संबंध रखने वाले तथ्य, आंकड़े तथा अन्य सुसंगत संदर्भ सामग्री मांग किए जाने पर माननीय सदस्यों को निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती है :-

1. तुरंत और उत्तम सेवा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से सदस्यों से अपेक्षा है कि सत्रावधि के दौरान संदर्भ पृच्छाएं केवल उन्हीं विषयों पर दी जाएं जो सदन की दैनन्दिन कार्यवाही से सीधा संबंध रखती हों।
2. संदर्भ की प्रपूर्ति यद्यपि यथाशीघ्र की जाती है तथापि इसके लिए विहित प्रपत्र, जो सूचना कार्यालय/संदर्भ शाखा (मुख्य भवन की ऊपरी मंजिल पर पुस्तकालय के पास अवस्थित) में उपलब्ध है, वांछित जानकारी दो दिन पूर्व भरकर उक्त शाखाओं के किसी अधिकारी को देना अपेक्षित है।
3. माननीय सदस्यों को केवल 10 पृष्ठों की छायाप्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, इससे अधिक पृष्ठ होने पर माननीय सदस्यों को एक रूपए प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करना होता है।
4. विस्तृत जानकारी के लिए माननीय सदस्य सुविधानुसार संदर्भ शाखा में आकर उपलब्ध संदर्भ सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संसदीय कर्त्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु इस सेवा का अधिकाधिक लाभ उठाने का कष्ट करें।

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा